न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 76 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेसपोडेंटगण
1. हरूराराम उर्फ हरीराम पुत्र बगताराम 2. भगवतीदेवी पत्नी जगदीशकुमार जातियान जाट निवासीयान रोजियानाडी माधासर, तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. पन्नीदेवी पुत्री वगताराम पत्नी नवलाराम वर्ष जाति जाट, निवासी माधासर हाल निवासी राजवेरा तहसील शिव जिला वाड़मेर 2. धापूदेवी पुत्री वगताराम पत्नी जवाहराराम जाति जाट निवासी माधासर हाल निवासी दूध डेयरी के पीछे वालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला वाड़मेर 3. जेठीदेवी पुत्री वगताराम पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी माधासर हाल निवासी राजबेरा, तहसील शिव जिला बाड़मेर 4. भूराराम पुत्र बगताराम जाति जाट निवासी रोजियानाडी माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर 5. श्रीमान तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 136 / 2020 बअनवान पन्नीदेवी वगैरा बनाम हरूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन सारण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोजियानाडी, पटवार हल्का माधासर, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या 250 रकबा 5.6064 हैक्टयर की भूमि में उतरदाता संख्या 01 से 03 अर्थात वादीनीगण के सहखातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने का आदेश विधि, तथ्यों एवं पत्रावली पर आये दस्तावेजों की भारी अनदेखी कर गलत रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता नरपत पूनड़ द्वारा दिनांक 09.09.2020 को अपीलकर्तागण की ओर से वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने की अनुमति लेने के दो वर्ष बाद दिनांक 05.01.2022 को वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश नहीं करने पर एकतरफा कार्यवाही करवाई है जबकि दिनांक 05.01.2022 को पत्रावली नियत होने एवं उसमें जबाबदावा की आवश्यकता होने बाबत कोई तथ्य नरपत पूनड़ ने अपीलकर्तागण को अवगत नहीं करवाये एवं न ही इस बाबत कोई लिखित सूचना दी एवं न ही इस बाबत न्यायालय ने कोई दुबारा सम्मन जारी किये है और न ही वकील ने अपना कोई विधिक नोटिस जारी किया है ऐसी स्थिति में बिना नोटिस एवं सूचना के दिनांक 05.01.2022 को अपीलकर्तागण के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। कि नियमानुसार अपीलकर्तागण को दो साल बाद एकतरफा कार्यवाही से पूर्व पुनः नोटिस दिया जाना अतिआवश्यक था। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पर्चा पारित करने में राजस्व मैन्यूल एवं स्थापित नियमों की भारी अनदेखी की गई है जिससे आलोच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। प्राकृति न्याय एवं साम्या का यह स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पर्चा पारित करने से पूर्व अपीलकर्तागण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं देकर विधि के स्थापित नियमों की भारी अनदेखी की है, जिससे आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पर्चा अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीनीगण अर्थात उतरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिसकी आधार पर यह स्थापित होता है कि उतरदाता संख्या 1 से 03 स्व. बगताराम की पुत्रियां है एवं बगताराम का देहान्त वर्ष 1990 में हुआ था उस समय राजस्व अधिकारियों एवं संदर्भित ग्राम पंचायत द्वारा बाद जांच जो विरासतीय नागान्तकरण पारित किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

था वह गलत हो अथवा उस समय वादीनीगण ने वादग्रस्त आराजी में अपने हक–हिस्से की मांग क्यों नहीं की इस बाबत भी कोई वैध तथ्य वादीनीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आलोच्य निर्णय पारित किया गया है उसमें वादग्रस्त आराजी में वादीनीगण का क्या हक–हिस्सा है अथवा कितनी भूमि की खातेदारी की घोषित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेंटस/वादी की पैतृक भूमि है जिसमें वादीनीगण का जन्म से हक नियत है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में से अपने विधिक हिस्से से अधिक हिस्से का बेचान अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा ही खातेदारी का था तथा अपने हिस्से तक ही बेचान करने का अधिकारी था परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से के साथ ही वादीनीगण के हिस्से का बेचान कर दिया है, जो बेचान वादीनीगण के 1/5–1/5 हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम सम्मन जारी किये गये। अपीलांटस द्वारा अपना अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियुक्त किया गया था जानबुझकर अपना वकालतनामा पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी वादीनीगण/रेस्पोडेंटस की पैतृक खातेदारी की भूमि है इसको रेस्पोडेंटस संख्या 04 ने अपने इकाबालिया जवाब दावे में स्वीकार किया है। अपीलांटस के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये गये बावजूद सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उसके बावजूद हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं किया गया जिससे यह सावित होता हो कि वादीनीगण बगताराम की पुत्रियां नहीं है। वादीनीगण का बगताराम की पुत्रियां होने से बगताराम की संपति में जन्म से ही अधिकार है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार किया गया जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन किया गया। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि होने से अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई। अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण की गई। उपरोक्त विवेचदन एवं तथ्यों के आलोक मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2020 बअनवान पन्नीदेवी वगैरा बनाम हरूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर